परिशिष्ट "घ"

भारतीय राजपत्र के असाधारण भाग II खंड 3 उपखंड (1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 16.4.1981

अधिसूचना

स० का० नि० 296 (ङ) केन्द्र सरकार प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 (1978 का 37) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अभिधानतः

1. **लघु शीर्षक** :—इन नियमों को प्रेस परिषद् (आय-व्ययक तथा खाता) नियम 1981 कहा जा सकता है।

2. **परिभाषाएँ**:—इन नियमों में जब तक संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता हो :—

(क) 'अधिनियम' का अर्थ है प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 (1978 का 37)

(ख) 'परिषद्' का अर्थ है, भारतीय प्रेस परिषद् के, प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 (1978 का 37) के खंड 4 के अंतर्गत स्थापित।

3. **आय-व्ययक**:—

(i) परिषद् प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर से पूर्व अगले वित्त वर्ष की अनुपातिक प्राप्तियाँ तथा भुगतान के विवरण सहित आय-व्ययक तैयार करेगी।

(ii) आय-व्ययक परिशिष्ट "क" के अनुरूप तैयार किया जायेगा तथा उसकी एक प्रति संबद्ध वर्ष की पहली अक्टूबर से पूर्व केन्द्र सरकार को भेज दी जायेगी ।

4. खाते तथा लेखा

(i) भारतीय प्रेस परिषद्, परिषद् के धन तथा संपत्ति के नियमित विवरण संधारित करेगी । परिषद् को परिशिष्ट II में क्रमशः निर्धारित उल्लिखित प्रणाली के अनुसार खाते का हिसाब किताब तथा पत्रिकायें संधारित करेगी ।

(ii) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष परिषद् के खातों का लेखा परीक्षण किया जायेगा ।

(iii) परिषद् के लेखा परीक्षण के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को भी वही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को सरकारी खातों के लेखापरीक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त होते हैं तथा विशेषतः हिसाब-किताव, खाते, संवद्ध प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज तथा कागजात इत्यादि के प्रस्तुतीकरण की माँग करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

(iv) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा परिषद् के अध्यक्ष को लेखा परीक्षा के परिणामों से अवगत कराया जाएगा जो परिषद् की टिप्पणी सहित रिपोर्ट की एक प्रति केन्द्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे । भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक भी केन्द्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति सीधी प्रेषित करेंगे ।

5. प्रदान हेतु प्रत्यागम

(i) परिषद् केन्द्र सरकार को निम्नलिखित प्रत्यागम प्रदान करेगी : —

(क) अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत परिषद् द्वारा शुल्क के रूप

में एकत्र की गई निधि तथा किसी अधिकारी द्वारा अनुदान तथा अग्रिम राशि के अर्द्ध-वार्षिक विवरण ।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में लक्षित अनुदान तथा अग्रिम राशि में से किये गये व्यय का अर्द्ध-वार्षिक विवरण ।

(ग) परिषद् के विनिधान के अर्द्ध-वार्षिक विवरण ।

(ii) उप नियम (i) में निर्दिष्ट विवरण प्रति वर्ष 31 मार्च तथा 30 सितम्वर के अर्द्ध-वर्ष के लिये तैयार किये जायेंगे तथा केन्द्र सरकार को क्रमश: प्रथम मई तथा प्रथम नवम्वर को अथवा उससे पूर्व प्राप्त होने के लिए प्रेषित किये जाएँगे ।

फाइल संख्या 4/19/79-प्रेस

ह०/-
(सुरेश माथुर)
भारत सरकार के संयुक्त-सचिव

महाप्रबंधक
भारत सरकार, प्रेस
मायापुरी, रिंग रोड
नई दिल्ली ।